भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3020

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025

†3020. श्रीमती रचना बनर्जी:

श्री यूसुफ पठान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत व्यस्त समय के दौरान कैब एग्रीगेटर्स को आधार किराए से दोगुना तक वसूलने की अनुमति देने के पीछे के औचित्य को स्पष्ट किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार उपभोक्ताओं के हितों को संभावित शोषण से बचाने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है;

(ग) क्या राज्य सरकार को स्थानीय परिस्थितियों और जनहित के आधार पर 2X सर्ज प्राइसिंग के केंद्रीय दिशानिर्देशों को रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति होगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संशोधित दिशानिर्देशों के तहत सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि कम से कम 80 प्रतिशत किराया ड्राइवरों तक पहुँचे और इसकी लेखापरीक्षा और निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ङ) पारदर्शिता सुनिश्चित करने और व्यस्त समय के दौरान ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स द्वारा मनमाने ढंग से किराया वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि में इस वृद्धि का दैनिक यात्रियों, विशेषकर महानगरों में, जहां सार्वजनिक परिवहन के विकल्प सीमित हैं, पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई प्रभाव आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) भारत सरकार ने प्रयोक्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक स्व-प्रेरित (लाइट टच) नियामक प्रणाली का विधान करने के लिए मोटर यान एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2025 जारी किए हैं।

यात्रियों के लिए अनेक सुरक्षा उपायों के साथ, दिशानिर्देश खंड 17 के अंतर्गत किराया विनियमन का प्रावधान हैं। यह समझते हुए कि किराया समग्र वाहनों की मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, दिशानिर्देश गतिशील मूल्य निर्धारण की परिकल्पना करते हैं, जिससे एग्रीगेटर्स को राज्य द्वारा अधिसूचित आधार किराए से 50% कम शुल्क लेने की अनुमति मिलती है और व्यस्त समय के लिए किराए में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) को आधार किराए के दोगुने तक सीमित किया जा सकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और यात्री कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य द्वारा अधिसूचित किराया ही आधार किराया होगा।

स्वामित्व वाले मोटर वाहन के चालक को कम से कम 80% किराया मिलेगा, जबकि एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के लिए, ऑन-बोर्ड चालक को कम से कम 60% किराया मिलेगा। इसलिए, सर्ज प्राइसिंग की स्थिति में लाभार्थी स्वामित्व वाले वाहन का चालक होगा। इससे आपूर्ति में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार उच्च माँग के समय उपलब्धता की बेहतर आपूर्ति संभव होगी।

दिशानिर्देशों में यात्रियों से वसूले जाने वाले अनुचित किराया/गतिशील किराया सहित उल्लंघन के कई आधारों पर एग्रीगेटर लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है।

दिशानिर्देश यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी यात्री से डेड-माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिवाय तब जब यात्रा की दूरी तीन (3) किलोमीटर से कम हो, और किराया केवल मूल स्थान से गंतव्य तक लिया जाएगा।

****